# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 2239-I/15 जिला सागर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 15.7.15 | 1— मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर सागर के प्र.क्र. 60/अ—21/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 17.07.2014 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। जिसके द्वारा कलेक्टर सागर ने आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति नहीं दिए जाने का आदेश पारित किया है।<br>2— आवेदकगण के विद्वान अविक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदकगण को आराजी ग्राम महूनाजाट स्थित भूमि ख.क्र. 29 रकवा 2.02 हे० का पट्टा प्रदाय किया गया था। जिसको विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकगण एक आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे बिना किसी युक्तियुक्त आधार के निरस्त किया है।<br>उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदकगण द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति हेतु जो आवेदन दिया गया था, वह इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि विवाह उपरांत सभी आवेदकगण भिन्न भिन्न स्थान पर निवासरत् है। जिस कारण कृषि कार्य किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है आवेदक द्वारा यह भी कथन किया था किया आवेदकगण के पास अन्य स्थानों पर पृथक पृथक कृषि भूमि है जिनके पांचसाला खसरा आवेदकगण द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत किए है जिससे स्पष्ट है। कि उपरोक्त भूमि विक्रय करने के उपरांत भी आवेदकगण के पास पर्याप्त भूमि है। उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत बताते हुए निगरानी ग्राह्य किए जाने का अनुरोध किया गया।<br>3. आवेदक के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है। कलेक्टर सागर ने मुख्य रूप से आवेदकगण को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि की अनुमति देने से इंकार किया है कि प्रश्नाधीन भूमि विक्रय के पश्चात आवेदकगण के | |

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | पास संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के तहत पर्याप्त भूमि शेष नहीं रहेंगी। परंतु चूंकि आवेकदगण के पास अन्य स्थानों पर पर्याप्त कृषि भूमि है। इस बावत् खसरा की प्रतियां मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा आवेदकगण मौजा महूनाजाट की भूमि पर कृषि कार्य करने में सक्षम नहीं है क्योंकि वह अन्य स्थान पर निवासरत् है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरांत तथा प्रकरण की अघतन स्थिति के परिपेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः आवेदकगण द्वारा पट्टे पर प्राप्त प्रश्नाधीन भूमि निम्न शर्तो के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है:–<br>1. यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2014–15 की गाईड लाइन से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।<br>2. आवेदकगण भूमि के विक्रय का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से चार माह के समयावधि में निष्पादन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा यह अनुमति निरस्त मानी जायेगी।<br><br>सदस्य | |

निगरानी 2238-I-15

# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प सागर

1. नंदराम तनय धसू आदिवासी
   निवासी बहरोल तह. राहतगढ व ज़िला सागर
2. परमिया पिता हरलाल पति किसन आदिवासी
   निवासी चांदमउ तह व जिला सागर
3. मीरा पिता हरलाल वेवा दलू आदिवासी
   निवासी ग्राम पडराज तह. कुरवाई जिला विदिशा
4. पूरन तनय परम आदिवासी
   निवासी ग्राम चौका तह. राहतगढ जिला सागर .....निगरानीकर्ता

विरूद्व

म.प्र.शासन .....अनावेदक

## निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्तागण न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17/7/14 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम महूनाजाट स्थित भूमि खसरा क्र 29 रकवा 2.02 हे. का विधिवत् पटटे पर प्राप्त भूमि है जिसको विक्रय किए जाने हेतु अनुमति प्राप्त हेतु निगरानीकर्तागण द्वारा एक आवेदन पत्र कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें कलेक्टर सागर द्वारा विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।